न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 190/2012

वादी :-

1. भंवरु वल्द धर्माराम
   जति-खटीक, निवासी-लाम्बिया,
   तहसील-जैतारण जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रज्जाक पुत्र मिश्रु
2. गनी पुत्र मोलाबख्श
3. बरकत पुत्र गनी मोहम्मद
   जातियान-लौहार मुसलमान
   निवासीगण-लाम्बिया,
   तह.-जैतारण जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.28/09/2012

उपस्थितः. 1 श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः 15/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) की सीमा में वादी भवरु वल्द धर्माराम जाति-खटीक निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 102/4, 481/6, 1222 कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 17-13 बीघा किस्म चाही सोयम बारानी दोयम की आई हुई हैं। इस कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार वादी ही हैं। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2065 से 2068 साथ पेश की हैं। प्रतिवादीगण वादी के खसरा नमबर 1222 रकबा 7 बीघा 13 बीस्वा के सम्बन्ध में विवाद कर रहे हैं। इसलिए यह दावा खसरा नम्बर 1222 के सम्बन्ध में ही पेश किया हैं। उक्त विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1222 रकबा 7 बीघा 13 बीस्वा उक्त दोनो खसरो से अलग स्थित हैं और इस विवादित खसरा नम्बर 1222 या उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरान की कृषि भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार हक हिस्सा अधिकार नहीं हैं। वादी अपने खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1222 रकबा 7 बीघा 13 बीस्वा में बतौर खातेदार के काबिज है व अपने खातेदारी अधिकारो के तहत अपनी कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग आज दिन तक कर रहा हैं तथा वर्तमान में सावणू फसल बाजरी व मूंग की फसल वादी ने बोई हैं, जो मौके पर खडी हैं। उक्त प्रतिवादीगण विवादित खसरा नम्बर 1222 रकबा 7 बीघा 13 बीस्वा के न तो सहखातेदार है और न ही सहहिस्सेदार हैं तथा संबध नहीं हैं अर्थात प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्ति हैं। प्रतिवादीगण शक्ति के बल पर वादी को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि में जोर जबरदस्ती से काश्त नही करने देने की धमकीया दे रहे हैं तथा खडी बाजरी व मूंग की फसल को नुकशान पहुचाने की धमकीया दे रहे हैं। प्रतिवादीगण गांव में तारीख 10.09.2012 को एलानिया धमकी दी की फसल जो है वह पकने पर काटकर ले जायेगें। वादी एक अनूसुचित जाति समाज का गरीब एवं अकेला वृद्ध व्यक्ति है तथा कमजोर तब के का गरिब काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण संख्या एवं ताकत के बल पर वादी को कानून हाथ मे

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लेकर जबरदस्ती उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकीया दे रहे हैं। अगर प्रतिवादीगण ने वादी को नाजायज तौर से बेदखल करने खडी फसल को नुकशान पहुचाने की धमकीया दे रहे है। इसलिए वादी के पक्ष में सुदृढ प्रथम दृष्टिया केस हैं। इसलिये वादी की ओर से प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश हैं। बिनाय दावा प्रगतिवादीगण ने वादी को उसकी कृषि भूमि में काश्त करने, उपयोग व उपभोग करने से व बेदखल करने की ऐलानिया धमकीया दिनांक 10/09/2012 को गांव-लाम्बिया में दी, जो बमुकाम-लाम्बिया तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर मयाद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। जवाबदावा पेश करने हेतु समय चाहा गया। इस दौरान पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया में पेश हुई। मोके पर मजमा-ए-आम पक्षकारान् को समझाईश की गई। पक्षकारान् द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में यह निवेदन किया कि माफिक दावा डिक्री फरमावें। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश करने पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनाम के अनुसार डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) की सीमा में वादी भवरु वल्द धर्माराम जाति-खटीक निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 102/4, 481/6, 1222 कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 17-13 बीघा किस्म चाही सोयम बारानी दोयम की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लाम्बिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. भंवरु वल्द धर्माराम
   जति-खटीक, निवासी-लाम्बिया,
   तहसील-जैतारण जिला-पाली(राज.)

1. रज्जाक पुत्र मिश्रु
2. गनी पुत्र मोलाबख्श
3. बरकत पुत्र गनी मोहम्मद
   जातियान-लौहार मुसलमान
   निवासीगण-लाम्बिया,
   तह.-जैतारण जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 :रा0वा0 स0:190/2012

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरु .....-..... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनाम के अनुसार डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-लाम्बिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) की सीमा में वादी भवरु वल्द धर्माराम जाति-खटीक निवासी-लाम्बिया तहसील-जैतारण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 102/4, 481/6, 1222 कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 17-13 बीघा किस्म चाही सोयम बारानी दोयम की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 06/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	04	00	मिजानः-	01	00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner